न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 05/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

रामरतन वर्मा पुत्र हीरालाल रैगर निवासी प्लाट नं0 12, शिव विहार, ग्राम विजयपुरा आगरा रोड, पुरानी चुंगी, पोस्ट ऑफिस जामडोली, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 17.05.2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 22.02.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय में जमा कराया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 20.04.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलांट को सुना गया। अपीलान्ट ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रा.पत्र के अन्तर्गत मुझे सूचना प्राप्त हो गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से अपील मीमो का जवाब/टिप्पणी उनके पत्रांक लो.सू./2018/2877 दिनांक 01.05.2018 द्वारा प्राप्त हुई।

अपीलान्ट को राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना विधिवत तरीके से उपलब्ध कराये जाने से अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी
अति.कलक्टर, प्रथम,जयपुर

Scanned by CamScanner